भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3707
16.03.2026 को उत्तर के लिए

असम के महामाया वन-आच्छादित क्षेत्र का क्षरण

3707. श्री प्रद्युत बोरदोलोई :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के महामाया वन-आच्छादित क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हुआ है और यदि हां, तो अतिक्रमण की गई भूमि के क्षेत्रफल सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अतिक्रमणकारियों का ब्यौरा क्या है और क्या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) सरकार द्वारा वन आवरण सीमा को सुरक्षित रखने, अतिक्रमण हटाने और महामाया वन क्षेत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में वनरोपण, सीमांकन और सामुदायिक सहभागिता हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने महामाया वन क्षेत्र में अतिक्रमण के विरुद्ध की गई प्रवर्तन संबंधी कार्रवाइयों की प्रभावशीलता की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) वनों की सुरक्षा और प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। अतिक्रमण को रोकने के लिए, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और स्थानीय वन अधिनियमों/नियमों में उचित कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इन अधिनियमों/नियमों के तहत किए गए प्रावधानों के अंतर्गत वन और वृक्ष संसाधनों की सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई करते हैं।

असम के राज्य वन विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, असम के परबतझोरा प्रभाग में घरों, रबर के बागानों, मत्स्य पालन, चाय के बागानों, आवासीय क्षेत्रों और कृषि कार्यों द्वारा 2578.49 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय, विधिक प्रावधानों के अनुसार वन भूमि से अतिक्रमण हटाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगे कोई अतिक्रमण न हो, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परामर्श जारी करता है। इसके अलावा, अतिक्रमणों को रोकने के लिए राज्य वन विभागों द्वारा विभिन्न उपाय किए जाते हैं, जिनमें वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण और सीमांकन, वन सीमा पर खंभे लगाना और क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा नियमित गश्त शामिल है। राज्य वन विभाग वन क्षेत्रों में अतिक्रमणों की जांच करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), दूर संवेदन और वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) जैसी कई आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग करते हैं। ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का भी गठन किया गया है, जिनमें स्थानीय समुदायों को शामिल किया गया है, ताकि वनों के संरक्षण, संरक्षणात्मक देखभाल तथा प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा सके।

मंत्रालय, केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ताकि देश में वनों और वृक्षों के आवरण को बढ़ाया जा सके; इसमें वनों की सुरक्षा, संरक्षण और उनका सतत प्रबंधन भी शामिल है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, 'हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन' (जीआईएम), 'नगर वन योजना' (एनवीवाई), 'तटीय पर्यावासों और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल' (मिष्टी), 'प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण' (काम्पा), 'वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास', और 'वनाग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजनाएँ' शामिल हैं। इसके अलावा, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपनी पारिस्थितिक, जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप, राज्यों के लिए विशिष्ट वनीकरण, पुनर्वनीकरण और वन संरक्षण योजनाओं को लागू करते हैं।

इसके अलावा, 'विश्व पर्यावरण दिवस 2024' के अवसर पर और चालू वर्ष में भी देश भर में वृक्षारोपण गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "एक पेड़ माँ के नाम #Plant4Mother" नामक एक वृक्षारोपण अभियान भी शुरू किया गया है। यह अभियान देश में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ, "संपूर्ण सरकार" और "संपूर्ण समाज" के दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। इस अभियान ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण में योगदान दिया है, जिससे देश में हरित आवरण को बढ़ाने में सहायता मिली है।
